न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सत्तार खान, आर0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

(1) अपील संख्या :-08/2010/भीलवाड़ा (2010/00005)

1. देवीलाल पिता कुशाल बागरिया निवासी भोपालपुरा, भीलवाडा

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मधु पत्नी प्रताप सिंह देवडा, निवासी तहसील व जिला भीलवाडा
2. चण्डीप्रसाद पिता प्रहलाद खण्डेलिया निवासी गांधीनगर, भीलवाडा
3. सुनील पिता हरनारायण ओझा
4. हरिश पिता हरनारायण ओझा
5. नीरज पिता हरनारायण ओझा
   निवासी बी-3, बसन्त विहार, भीलवाडा
6. अंकुर पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी काशीपुरी, भीलवाडा
7. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाडा

रेस्पोर्डेट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 12.11.2009 अंतर्गत प्रकरण संख्या 04/2009.

उपस्थितः-

1. श्री ईश्वर देवडा, वकील अपीलांट ।
2. श्री गजेन्द्रसिंह राजावत अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1
3. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 7
4. राजकीय अभिभाषक श्री बी0एस0 शेखावत
5. रेस्पो0 सं0 2 एवं 6 अनुपस्थित

(2) अपील संख्या :-56/2010/भीलवाड़ा (2010/00003)

1. श्रीमती मधु पत्नी प्रताप सिंह देवडा, निवासी तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार
2. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाडा
3. देवीलाल पिता कुशाल बागरिया निवासी भोपालपुरा, भीलवाडा

4. चण्डीप्रसाद पिता प्रहलाद खण्डेलिया निवासी गांधीनगर, भीलवाडा
5. सुनील पिता हरनारायण ओझा
6. हरिश पिता हरनारायण ओझा
7. नीरज पिता हरनारायण ओझा
   निवासी बी–3, बसन्त विहार, भीलवाडा
8. अंकुर पिता शंकरलाल अग्रवाल निवासी काशीपुरी, भीलवाडा

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा दिनांक 12.11.2009 अंतर्गत प्रकरण संख्या 04/2009.

उपस्थितः–

1. श्री गजेन्द्र सिंह राजावत, वकील अपीलांट ।
2. राजकीय अभिभाषक श्री बी0एस0 शेखावत
3. श्री मदनलाल गुर्जर, अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 2
4. रेस्पो0 सं0 3 एवं 8 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक :– ....

अपीलांट ने दो अलग–अलग अपीलें विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाड़ा (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2009 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं । दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने तथा कानूनी विवाद बिन्दु समान होने से दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक संधारित की जावे । xx

1- दोनों प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमती मधु पत्नी प्रतापसिंह देवडा द्वारा जिला कलक्टर, भीलवाडा के समक्ष तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा स्वीकृत नामा0सं0 2894 दिनांक 22.04.2004 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किये कि जमाबन्दी संवत 2042 से 2045 वर्ष 1988–89 में ग्राम भीलवाडा, पटवार हल्का भीलवाडा में स्थित आराजी ख0नं0 2411, 2418, 2419, 2420 कुल किता 4 कुल रकबा 3.14 बीघा रेस्पोडेंट सं0 3 देवीलाल पुत्र कुशाल बागरिया के नाम दर्ज थी, जिसने अपनी उक्त कृषि भूमि को आवासीय योजना में परिवर्तित करने हेतु वर्ष 1988–89 में विवादित आराजीयात को रेस्पो0 सं0 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा को समर्पित करते हुए उक्त विवादित आराजीयात का आवासीय प्रयोजन हेतु ले–आउट प्लान नगर विकास न्यास, भीलवाडा में पेश कर वर्ष 1988–89 में प्लान स्वीकृत करवा लिया। रेस्पो0 सं0 3

देवीलाल ने विवादित आराजी में 39 आवासीय भूखण्ड काटकर विभिन्न व्यक्तियों को नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 10.07.1999 के परिपत्र अनुसार विक्रय कर, विक्रय राशि प्राप्त कर ली, तभी से क्रेता व्यक्तियों ने अपने भूखण्डों पर कब्जा कर निर्माण कार्य समपन्न करवा लिया। इस प्रकार वर्ष 1988-89 के बाद से रेस्पो0 सं0 3 देवीलाल का विवादित आराजीयात पर कोई हक व स्वामित्व शेष नहीं रहा। आवासीय योजना के 39 भूखण्डों में से भूखण्ड सं0 6 नपती 30 बाई 64 फीट कुल 1920 वर्गफीट का अपीलांट श्रीमती मधु ने रेस्पो0 सं0 3 देवीलाल से दिनांक 02.06.1988 को 2500/- रूपये अदा करके क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया। अपीलांट श्रीमती मधु ने उक्त भूखण्ड सं0 6 को नियमन करवाने हेतु रेस्पो0 सं0 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा के यहां पत्रावली आवेदन पत्र सं0 नियमन/2000/8207 दिनांक 13.06.2000 को पेश कर नियमानुसार राशि नगर विकास न्यास, भीलवाडा के यहां जमा करवा दी। तब से लेकर आज तक अपीलांट श्रीमती मधु को नियमन संबंधी आवेदन रेस्पो0 सं0 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा के यहां विचाराधीन चला आ रहा है। इसी दौरान नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने उक्त विवादित आराजीयात का ले-आउट प्लॉन पास कर लेने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के बाद उक्त कृषि भूमि को अवाप्त करने की कार्यवाही अवैध, जो प्रारंभ से ही शून्य कार्यवाही प्रारंभ कर दी थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त अवाप्ति कार्य को निरस्त कर दिया। इसके बाद रेस्पो0 सं0 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने दिनांक 20.04.02 को बैठक आयोजित कर जिला कलक्टर, भीलवाडा से उक्त प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु राय मांगी गई, जिस पर जिला कलक्टर ने अपने पत्र क्रमांक एफ/34-6 सा शा/2001-02 दिनांक 09.03.02 द्वारा आदेश दिया गया कि विवादित आराजीयात पंचवटी विस्तार योजना में अब किसी प्रकार कृषि कार्य नहीं हो रहा है तथा वहां प्लॉट कटे हुये है। अतः 90बी की कार्यवाही कर भूमि का अपने नाम दर्ज करावें। जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 09. 0ण3.02 के आदेश की पालना में रेस्पो0 सं0 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने तहसीलदार, भीलवाडा को एक आदेश दिनांक 16.12.02 प्रेषित कर आदेश जारी किया कि पंचवटी विस्तएार योजना में कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करावें। उक्त आदेश आज दिन तक प्रभावी है। इस प्रकार पंचवटी विस्तार योजना की कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार के परिवर्तन पर रोक दिनांक 16.12.02 से जारी की हुई थी। विवादित आराजीयात के संबंधित भूखण्ड के मालिकों से नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने वर्ष 2000 में 90बी के तहत नियमन कर आवासीय पट्टे जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये हुये थे। आवासीय क्षेत्र का ले-आउट का प्लॉन पूर्व में स्वीकृत किया जा चुका है। इन सभी कारणों से नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने अपनी बैठक दिनांक 20.04. 02 एवं 26.04.03 में निर्णय लिया कि पंचवटी विस्तार योजना में स्थित भूमि पर काफी विकास किया जा चुका है, जिस कारण नियमन शुल्क के

साथ विकास शुल्क 50 रूपये अलग से वसूल किया जाकर नियमन किया जावें। तत्पश्चात रेस्पो0 सं0 2 नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा गैरकानूनी रूप से दिनांक 20.04.04 को पत्र क्रमांक भूमि/04/1617 जारी कर ग्राम भीलवाडा की आराजी नम्बर 2418, 2419, 2420, 2411 कुल 3.14 बीघा को मूल खातेदार के नाम रद्दोबदल करने का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जिसका रेस्पोडेंट देवीलाल द्वारा गलत अर्थ निकालते हुये एवं उच्च अधिकारी के रेकार्ड में परिवर्तन नहीं करने के आदेश होते हुए भी राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मिलीभगती कर गलत एवं अवैध आदेश जारी करवा कर पुनः रिवर्ट बैक कर रेस्पो0 सं0 3 देवीलाल ने अपने नाम नामा0 सं0 2894 दिनांक 22.04.2004 स्वीकृत करवा लिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट श्रीमती मधु ने प्रथम अपील जिला कलक्टर, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की। अधी0न्याया (जिला कलक्टर, भीलवाडा) ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.2009 द्वारा अपील खारिज फरमा दी। अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 12.11.2009 से अप्रसन्न होकर यह दोनों अपील प्रस्तुत की गई है। xx

2- दोनों अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंटस के नोटिस तामील होने अथवा उपस्थित होने एवं अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 की बहस सुनी गई । xx

3- सर्वप्रथम हम अपील संख्या 56/2010 (2010/00003) के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र धारा 5 मि0अ0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपील में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मि0अ0 पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। प्रार्थीया ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए अपील अपीलांट मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

4- अपीलांट की बहस गुणावगुण पर सुनी गई। अपील संख्या 08/2010 (2010/00005) में अपीलांट अभि0 श्री ईश्वर देवडा ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधी0अपीलय न्याया0 एक ओर तो नामा0 को विधिसम्मत मानता है व रेस्पो0सं0 1 को हितबद्ध पक्षकार नहीं मानता है। अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि ''अपीलार्थीयां (रेस्पो0 सं0 1) की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि विवादित आराजी भू-भाग में भूखण्ड खरीद करने के उपरांत उसकी ओर से सक्षम अधिकारी के यहां कृषि भूमि को अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ सम्य परिवर्तन कराने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया हो।'' अर्थात रेस्पो0सं0 1 द्वारा तथाकथित इकरार नामे को आधार बनाते हुए बिना किसी साक्ष्य सबूत के अनुतोष चाहा है, जिसे न्यायालय द्वारा सिरे से खारिज किया गया किन्तु दूसरी ओर उसी न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण वर्णित किये अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर रेस्पो0सं0 1 के स्वामित्व निर्धारण तक प्रश्नगत

भूमि के संबंध में नियमन एवं संपरिवर्तन कार्यवाही नहीं करने का आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अविधिक होकर निरस्तनीय है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय इस हद तक निरस्त फरमाया जावें। xx

5- अपी0 अभि0 की उक्त बहस के जवाब में रेस्पो0 अभि0 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलाधीन आदेश में स्वामित्व निर्धारण तक प्रश्नगत भूमि के संबंध में नियमन एवं संपरिवर्तन कार्यवाही नहीं करने का आदेश हमारे अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु किया है जो पूर्ण रूप से न्यायालय के विवेकाधिकार के तहत होकर वैधानिक है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर इस हद तक अधी0 न्याया0 का निर्णय यथावत रखा जावें। xx

6- अपील संख्या 56/2010 (2010/00003) के अपीलांट अभि0 श्री गजेन्द्रसिंह राजावत ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधी0न्याया0 जिला कलक्टर, भीलवाडा को प्रश्नगत नामा0 के वैधता को निर्णित करते समय इस बिन्दु को निर्णित करने का अधिकार नहीं था कि अपी0 द्वारा खरीदशुदा भूखण्ड अपंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीदा गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक था। अधी0न्याया0 द्वारा नगर विकास न्यास एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक प.5 (3) न.वि.वि./3/99 दिनांक 10.07. 1999 के परिपत्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित नहीं किया गया जबकि रेस्पो0सं0 3 अपंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा भूखण्ड विक्रय करने हेतु स्वतंत्र था और ऐसे भूखण्डों के लिए पंजीयन होना आवश्यक नहीं था। नामा0 में लिप्त आराजी भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अधिग्रहण नहीं की गई थी बल्कि रेस्पो0सं0 3 ने समर्पित की थी। भूमि अर्जन अधिनियम के तहत ऐसे कोई नोटिफिकेशन या आदेश जारी नहीं किया गया था जिसके तहत भूमि अधिग्रहण की गई हो। ऐसी स्थिति में धारा 144 सी0पी0सी0 के प्रावधान लागू होना मानते हुए नामा0 सं0 2894 को सही स्वीकृत मानकर उसकी पुष्टि करना विधि विरूद्ध है। अधी0न्याया0 को यह देखना था कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने कौन से आदेश को अपास्त किया, जिसके आधार पर विवादित नामा0 स्वीकृत किया गया है। जब रेस्पो0सं0 3 ने नामा0 में लिप्त आराजी में से भूखण्ड अपीलांट को विक्रय कर कीमत प्राप्त कर ली है। उसके बाद अपीलांट का विवादित आराजी में हित निहित हो गया है। अगर अपीलांट विवादित आराजी में थोडा सा भी हित रखती है तो उसे अपील करने का पूर्ण अधिकार है। अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट का लोकस स्टेण्डाई नहीं मानकर अवैधानिकता बरती है। अधी0न्याया0 का यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि अपीलांट ने भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराने एवं अवाप्ति व नगर सुधार न्यास का आदेश अथवा अपीलांट द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। जबकि रेस्पो0सं0 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष यह सभी मिनिट्स प्रस्तुत किये है जिनसे नामा0 में लिप्त आराजी रेस्पो0सं0 2 में निहित हो गई एवं पंचवटी कॉलोनी के विस्तार में सम्मिलित कर दी गई।

अधी0न्याया0 द्वारा नामा0 में लिप्त आराजी को एक ओर तो विवादस्त मानकर रेस्पो0सं0 2 को निर्देश दिये है कि वह रूपान्तरण संबंधी या पट्टा संबंधी कार्यवाही नहीं करें, वही दूसरी ओर रेस्पो0सं0 3 के पक्ष में स्वीकृत नामा0 को पुष्ट कर रहे है, जो अपने आप में विरोधाभाषी है। जब रेस्पो0सं0 3 द्वारा भूमि को भूखण्ड काटकर हस्तान्तरित किया जा चुका है तो उसके सारे अधिकार समाप्त हो चुके है, भले ही विक्रय पत्र अपंजीकृत क्यों नहीं हो। तहसीलदार, भीलवाडा द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाधीन नामा0 तस्दीक किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सुस्थिापित सिद्धान्तों के विपरीत है। उपरोक्त आधारों पर अपीलाधीन नामा0 निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें। xx

7- विद्वान वकील रेस्पो0 1 व 2 ने अपील के जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजी भू-भाग को नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने अवाप्त कर अपने पक्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया गया लेकिन भूमि अवाप्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत होकर अवाप्ति कार्यवाही के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है। अधी0न्याया0 द्वारा वैधानिक रूप से अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट खारिज फरमाई जावें। xx

8- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । प्रकरण में गुणावगुण पर अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी भू-भाग को नगर विकास न्यास, भीलवाडा ने अवाप्त कर अपने पक्ष में राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया गया लेकिन भूमि अवाप्ति के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत होकर अवाप्ति कार्यवाही के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया है। जब नीचे की अदालत के किसी आदेश को उपर के न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो उस परिस्थिति में दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में अंकित प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख में नीचे की अदालत के द्वारा दिये गये आदेश के पहले की जो स्थिति रेकार्ड की बनी हुई थी वहीं स्थिति रेकार्ड पर वापस स्थापित करना होता है और यहां पर भी यही स्थिति है। भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 17 के अनुसार कोई भी अचल सम्पत्ति जिसका कि विक्रय 100 रूपये की मालियत से अधिक का किया गया है तो उसका विहित नियमों के अन्तर्गत पंजीयन आवश्यक है एवं धारा 49 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी अचल सम्पत्ति के लिए विक्रय विलेख जो अपंजीकृत है, ऐसे विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। ऐसा विक्रय विलेख उक्त नियमों के अन्तर्गत वैधानिक नहीं कहा जा सकता है। अपीलांट ने भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण कराने एवं अवाप्ति व नगर सुधार न्यास का आदेश अथवा अपीलांट द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये। उक्त आधारों पर अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट का लोकस स्टेण्डाई नहीं मानते हुए अपीलाधीन नामा0 को यथावत

रखने में कोई अवैधानिकता नहीं की है। हम अधि0न्याया0 के इस निष्कर्ष से हम सहमत है कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु हक अधिकार व स्वामित्व को तय करने का है और इसके लिए सिविल न्यायालय ही सक्षम है, जिससे वादग्रस्त आराजी भू-भाग में नगर विकास न्यास, भीलवाडा द्वारा भूमि अवाप्ति कार्यवाही से पहले जिन व्यक्तियों ने भू-खण्ड खरीद किये हैं व अवाप्ति कार्यवाही आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त करने के पश्चात् जिन व्यक्तियों ने पंजीकृत विक्रय विलेखों से भूमि को खरीद किया है । उनके पक्ष में नगर विकास न्यास, भीलवाडा तब तक नियमन अथवा सम्यपरिवर्तन की कार्यवाही नहीं करें जब तक उपरोक्त हितबद्ध क्रेतागण द्वारा सिविल न्यायालय से अपना हक व स्वामित्व तय नहीं करावा लेते। इस प्रकार हम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.11.2009 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। xx

9- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीलें खारिज करना तथा अधी0 अपीलीय न्याया0 द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2009 यथावत रखा जाना उचित समझते है।

-ः<u>क्रियात्मक आदेश</u>ः-

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 08/2010 (2010/00005) बउनवानी देवीलाल बनाम श्रीमती मधु व अन्य, अपील संख्या 56/2010 (2010/00003) बउनवानी श्रीमती मधु बनाम सरकार व अन्य को खारिज किया जाता है तथा विद्वान जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.11.2009 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक-पृथक संधारित की जावे।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक .... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सत्तार खान)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sattar Khan
Date: 2020.01.17 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: